ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(1): 473-475
www.allresearchjournal.com
Received: 25-11-2015
Accepted: 31-12-2015

मीनाक्षी कुमारी
+2 शिक्षिका (इतिहास)
शिव गंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय मधुबनी, बिहार, भारत

Corresponding Author:
मीनाक्षी कुमारी
+2 शिक्षिका (इतिहास)
शिव गंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय मधुबनी, बिहार, भारत

धर्मशास्त्र के क्षेत्र में चण्डेश्वर का अवदान

मीनाक्षी कुमारी

सार
लगभग सवा दौ सौ वर्षों के कर्णाट शासनकाल में मिथिला में बौद्धिक पुनर्जागरण की एक लहर उत्पन्न हुई जिनके प्रमुख प्रतिनिधि थे प्रकांड विद्वान चिन्तक एवं मनीषी चण्डेश्वर ठाकुर। मिथिला के कर्णाट वंशीय राजाओं का शासनकाल न सिर्फ मिथिला अपितु मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोध प्रबंध ''धर्मशास्त्र के क्षेत्र में चण्डेश्वर का अवदान'' में बताया गया है कि चण्डेश्वर ने न केवल राज्यशास्त्र बल्कि धर्मशास्त्र के क्षेत्र में भी बहुमुल्य योगदान दिया है। परंपरागत दृष्टि में राज्यशास्त्र, राजधर्म भी धर्मशास्त्र के अंतर्गत है किन्तु यहाँ धर्मशास्त्र को पृथक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

कूट शब्दः– मनीषी, सप्दपदी, आह्निक, नैमित्तिक, राजन्य, कलिवर्ज्य, अव्यवहार्य, यज्ञापवीत, अनुलेपन, किण्चित्, परवर्ती।

प्रस्तावना
अध्ययन के उद्देश्यः– प्रस्तुत शोध प्रबंध का उद्देश्य चण्डेश्वर ठाकुर के धर्मशास्त्र के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का विशेषतः बिहार और मिथिला के अनुदान को प्रकाशित करना है। इस दृष्टि से इस शोध का धर्मशास्त्र के क्षेत्र में काफी महत्व है। एक तरह से इसमें प्रचीन काल से लेकर मध्यकालीन (14 वीं सदी ई0 तक) के भारत के धर्मशास्त्रीय अध्ययन का विश्लेषण समाहित है।

अध्ययन पद्धतिः– प्रस्तुत शोध प्रबंध ऐतिहासिक दृष्टि से विश्लेषणात्मक तथा मूल्यांकनात्मक होगा। चण्डेश्वर ठाकुर की कृतियों का मूलाधार मानकर उनमें उपलब्ध उनके धार्मिक विचारों का मूल्यांकन किया जायेगा, किन्तु उनसे संबंधित पूर्ववर्ती, समवर्ती एवं किण्चित परिवर्ती बातों का भी उपयोग किया जायेगा।

परिचय
चण्डेश्वर ठाकुर मिथिला की महान विभूतियों में है। उन्होंने अपना राजनीतिक एवं साहित्यिक जीव कर्णाट वंशीय राजा हरिसिंह देव (1279–1325 ई0) के समय में प्रारंभ किया। धर्मशास्त्र वक्ताओं एवं राजनीतिज्ञों में वंश–परम्परा से संभ्रांत एवं प्रतिष्ठित ब्राहम्ण परिवार के थे। वे प्रखर विद्वान ही नहीं महान योद्धा भी थे। 'शस्त्र और शास्त्र' दोनों के वे धनी थे। इसके साथ ही वे महादानी भी थे। चण्डेश्वर ने न केवल राज्यशास्त्र बल्कि धर्मशास्त्र के क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान दिया है।

विश्लेषण एवं व्याख्याः– धर्मशास्त्रीय निबंध–ग्रन्थकारों में चण्डेश्वर का प्रमुख स्थान है। उन्होंने धर्मशास्त्र संबंधी निम्नलिखित ग्रंथ लिखे हैं :–

1. गृहस्थ रत्नाकर
2. कृत्य रत्नाकर
3. शुद्धि रत्नाकर
4. दान रत्नाकर
5. पूजा रत्नाकर
6. कृत्य चिन्तामणि

दो अन्य ग्रंथ 'दानवाक्यवलि' तथा शिववक्यावलि' भी उनकी कृतियाँ बतायी जाती हैं।
गृहस्थ रत्नाकर के अंतर्गत उन्होंने कहा कि धर्मशास्त्र में आश्रम चार हैं– ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास किन्तु अन्य सभी आश्रमों का आश्रय गृहस्थ आश्रम ही हैं अतएव गृहस्थ जीवन में कर्तव्यों का निरूपण किया गया है–ब्रह्मचारी जीवन के पश्चात् गृहस्थ जीवन प्रारंभ करना, विवाह के लिए विवाह योग्य वर–कन्या का निरूपण, कन्या–वर का वय, क्रम निरूपण, कन्यादान निरूपण, कन्या–स्वयंवर, स्त्री–पुरूष, अधिवेदन–परिवेदन का निषेध, अग्निहोत्र क्रिया आदि संध्योपासना दिनचर्या के सभी

कर्तव्यों–दायित्वों का पालन आवश्यक, अशौच–शारीरिक अशौच आचमन, दन्तधावन, प्रातःस्थान आदि, जप–विधि, संध्योपासना, तर्पण, पंचमहायज्ञ, अतिथि पूजन, भोज्य–अभोज्य विधि, मांस भक्षण सबंधी, पशु हिंसा संबंधी, विप्र कर्म–धर्म–वृति, पद्धति, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन वृत्ति प्रतिग्रह, वैश्य–धर्मकर्म, शूद्र धर्म, स्नातक व्रत, वाच्य–अवाच्य संयम आदि।

विवाह

सजातीय विवाह को श्रेष्ठ माना है। साथ ही सगोत्र संपिड विवाह को वर्जित बताया गया है। असपिण्ड (असगोत्र) विवाह योग्य वर एवं कन्या के लक्षण एवं गुण भी बताये गये हैं। उन्होंने 16 वर्ष तक की कन्या के अविवाहित रहने की अनुमति दी है। उन्होंने खास अवस्था में अभिभावक द्वारा कन्या–विवाह नहीं करने पर कन्या को स्वयंवर की अनुज्ञा दी है। चण्डेश्वर ने विवाह की सिद्धि सप्तपदी (सात फेरे) के उपरांत ही विधानानुसार सम्पन्न माना है।

अधिवेदन एवं परिवेदन

अधिवेदन से तात्पर्य है प्रथम पत्नी की जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी से विवाह करना। चण्डेश्वर के विचारों से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में ऐसा करना (अधिवेदन) निषिद्ध माना जाता था। परिवेदन से तात्पर्य है ज्येष्ठ भाई के अविवाहित रहते हुए कनिष्क भाई का विवाह करना। प्राचीन समाज में यह कुरीति निषिद्ध थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसा कि बड़े भाई के दीर्धकालीन देशान्तर वास, असाध्य रोग आदि दोषों की स्थिति में छोटा भाई विवाह कर सकता है, ऐसा बताया गया है।

आह्निक (दैनिक कर्मानुष्ठान)

आह्निक कर्म मे मूत्र–पुरीषत्याग दंतधावन एवं शौच, आचमन, स्नान आदि का निरूपण किया गया है। जल, तालाब, जलावतरण मार्ग भी इसके लिए निषिद्ध बताया गया है। सूर्याभिमुख होकर पेशाब न करें।

आचमन

मुख शुद्धि के लिए एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए सोकर, छींककर, भोजनकर, थूककर, असत्य बोलकर भी आचमन करें। भोजनोपरान्त अनेक सह आचमन बताया गया है।

स्नान

शारीरिक शुद्धि के लिए नित्य प्रातः स्नान आदि के अलावा दैव और पितृ–कर्मों में भी तथा जप और दान के बाद भी स्नान आवश्यक बताया गया है। स्नान के तीन प्रकार–नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य बताया गया है। नैमित्तिक अशौच, अशुद्धि, व्रत, ग्रहण आदि काल में विहीत बताया गया है।

सन्ध्योपासना एवं प्राणायाम का विधान

सन्ध्योपासना एवं प्राणायाम का विधान किया गया है। प्राणायाम के लिए पूरक, कृम्भक, रेचक क्रिया आवश्यक बताया गया है।

धर्मशास्त्रानुकूल पाँच महायज्ञ बताये गये हैं

1. ब्रह्मयज्ञ अर्थात् वेदाध्ययन
2. पितृयज्ञ – तर्पण, श्राद्वधर्म।
3. देवयज्ञ–हवन आदि
4. भूतयज्ञ–बलिवैश्वदेव
5. नृयज्ञ –आतिथ्य आदि।

ये गृहस्थों के लिए आवश्यक कर्त्तव्य बताये गये है। अतिथि सत्कार के प्रसंग में चण्डेश्वर ने एक उल्लेखनीय बात कही है। उन्होंने वशिष्ठ (सूत्रकार) का यह विधान दिया है कि '''ब्राह्मण या राजन्य या अभ्यागत के लिए गोमांस से अतिथ्य करना चाहिए'''–इस का विरोध करते हुए चण्डेश्वर ने यह मत दिया कि –'यद्यति अतिथि तृप्ति के लिए गोवध विधि सुनी जाती है, फिर भी ब्रहमपुराण द्वारा 'गोवध कलिवर्ज्य' कहा गया है, अतः गोवध निषिद्ध है।[1]

कृत्य रत्नाकर

यह चण्डेश्वर की अति महत्वपूर्ण कृति है। कृत्य–रत्नाकर में कहा गया है कि उपागम (शास्त्रों) में निष्णात आर्यों का समर्थित अनुमोदित विहित कर्म ही धर्म है और उसके विपरीत अधर्म।[2] किन्तु इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है उन प्राचीन कृत्यों का जो अब व्यवहारतः अव्यवहार्य (कलिवर्ज्य) हो गये हैं, उनका परिपालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्वजों में तेजस् होने के कारण उन कृत्यों के पापों से वे निर्लिप्त रहते थे।[3]

धर्मशास्त्र का महत्व बतलाते हुए यह कहा है कि धर्मशास्त्र उन लोगों के लिए मार्ग दर्शक है जो अज्ञानरूपी अंधकार से अंधे हैं तथा बुरे उद्देश्यों से भ्रमित हैं।[4] कृत्यों में व्रत–उत्सवों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है व्रत की परिभाषा में यह कहा गया है कि यह एक निदिष्ट संकल्प है जिससे हम कृत्य–कर्त्तव्यों के साथ अपने को बांधते हैं। व्रत एक नियम है जो शास्त्रों द्वारा व्यवस्थित है। व्रत में कई बातें सम्मिलित रहती है जैसे–स्नान, संकल्प, उपवास पूजादान आदि व्रत की अवधि के भीतर आरचरण संबंधी कुछ विशिष्ट नियमों का परिपालन करना होता है। सभी धार्मिक कृत्यों में पूर्ण विश्वास रखना आवश्यक बताया गया है। कृत्यों के प्रति जिसे श्रद्धा नहीं है तो धार्मिक कर्म करने का प्रयोजन ही नहीं है। इस पर्व–त्योहारों, उत्सवों का दूसरा उद्देश्य था–सभी वर्गों के लोगां को एक साथ लाना, ताकि सामाजिक सद्भाव, सामंजस्य एवं भाईचारा कायम रहे। इस प्रकार पर्व त्योहारों का धार्मिक ही नहीं अपितु सामाजिक जीवन में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था।[5]

शुद्धि रत्नाकर

शुद्धि के अंतर्गत (जन्म–मरण के समय के) अशौच, किसी अपवित्र वस्तु के स्पर्श से तथा कुछ घटनाओ के कारण अपवित्रता, पात्रों, भोजन आदि की शुद्धि का विवेचन है। शुद्धि शब्द को अशौच के उपरान्त की शुद्धि के अर्थ में लिया जाता है। शुद्धि वह विशेषता है जो सभी धर्मों के संपादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है और अशुद्धि वह विशेषता है जो शुद्धि की विरोधी है और जो किसी सपिंड के जन्म आदि के अवसर पर उत्पन्न होती है। अशौच के दो प्रकार बताए गए हैं – जन्म से उत्पन्न जिसे जननाशौच या सूतक कहा जाता है तथा मरण से उत्पन्न जिसे मृतकाशौच या मरणााशौच कहा जाता है। द्रव्य शुद्धि के लिए भी नियम बताए गए हैं।

मरणाशौच के प्रतिकार में श्राद्ध कर्म का विधान बताया गया है। वैसे सामान्य रूप से कहा गया है कि श्राद्ध शब्द श्रद्धा से संबंधित है। कहा गया है कि श्राद्ध से जो कुछ दिया जाता है वह पितरों द्वारा प्रयुक्त होनेवाले उस भोजन में परिवर्तित हो जाता है जिसे वे कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार नए शरीर के रूप में पाते हैं।

दान रत्नाकर

चण्डेश्वर ने दान पर प्रभुत प्रकाश डाला है। उन्होंने दान रत्नाकर के अलावा 'दान–वाक्यावलि' भी लिखा है। दान धर्म की बड़ी महत्ता कही गई है। दान के तीन प्रकार बताए गए हैं – 1. नित्य, 2. नैमित्तिक एवं 3. काम्य। जो प्रतिदिन दिया जाय उसे नित्य, जो किन्हीं विशिष्ट अवसरों पर दिया जाए वो नैमित्तिक तथा जो सन्तानोत्पत्ति, विजय, समृद्धि, स्वर्ग या पत्नी के लिए दिया जाए उसे काम्य कहते हैं। वाटिका, कूप आदि का समर्पण ध्रुवादान कहा जाता है।

कुछ वस्तुएँ जिन्हें दान में नहीं दिया जाना चाहिए वे हैं जिनपर अपना (दाताक) स्वत्व (अधिकार) नहीं हो। संतानों के रहने पर

अपनी पूरी सम्पत्ति का दान वर्जित बताया गया है। प्रतिदिन के दान कर्म के अतिरिक्त अभ्य विशिष्ट अवसरों के दान की व्यवस्था करते हुए कहा गया है कि प्रतिदिन के दान–कर्म से विशिष्ट अवसरों के दान–कर्म अधिक सफल एवं पुण्यप्रद है। उन्होंने तुलादान , गोदान, आदि की भी चर्चा की गई है। ध्यातव्य है कि उन्होंने स्वयं 'तुलापुरूष' दान किया था। गोदान अर्थात् गाय के दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गाय सीधी होनी चाहिए और उसके साथ दक्षिणा भी दी जाए। ग्रहशांति के लिए भी दान का विधान किया गया है। वृक्षारोपण की भी महत्ता बतायी गयी है। कुछ वृक्ष पवित्र बताये गये हैं जैसे–गुलर, अश्वत्थ, न्यग्रोध, प्लक्ष, आम आदि। धार्मिक कृत्यों में उनकी हवनादि में उपयोग बताया गया है। मंदिरों आदि का जीर्णोद्धार भी धार्मिक कृत्य बताया गया है। विवाद रत्नाकर (पृ0सं0–364) में चण्डेश्वर ने बताया है कि जब प्रतिमाा, वाटिका, पुल, कूप, बांध, जलाशय को कोई तोड़–फोड़ दे तो उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए तथा अपराधी को आठ सौ पण का दण्ड मिलना चाहिए। इससे सार्वजनिक हितोपयोगी साधनों के निर्माण की महत्ता तथा उनकी क्षति करने की निन्दनीयता तथा दण्डनीयता सिद्ध होती है।

पूजा रत्नाकर

कृत्यों में पूजा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। देवपूजा में कई उपचार बताए गए हैं जिनकी सामान्य तौर पर 16 संख्या बताई गई है। इन उपचारों में आह्वान, आसन, पादय अर्ध्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञापवीत, अनुलेपन पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य या नमस्कार प्रदक्षिणा तथा विसर्जन सोलक के स्थान पर दस या पाँच उपचारों का भी विधान है। यदि कोई सामग्री न हो तो श्रद्धापूर्वक प्रणाम ही पर्याप्त माना गया है। कृत्य रत्नाकर में (पृ0सं0–70–71, 77–79) मूर्ति पूजा में विभिन्न पुष्पों, धूपों, गंध के विभिन्न प्रकारों आदि बाते बहुत विस्तार से की गई है।

पूजा रत्नाकर में आया है कि जहाँ–जहाँ शालिग्रामशिला होती है वहाँ हरि का निवास रहता है, जो शालिग्रामशिला के पास मरता है वह हरि का परमपद प्राप्त करता है। इस प्रकार की भावनाएँ आज भी लोक प्रसिद्ध है।

कृत्य चिन्तामणि

चण्डेश्वर ठाकुर ने कृत्य चिन्तामणि में ज्योतिष संबंधी बातों के आधार पर धार्मिक उत्सवों, संस्कारों का निरूपण किया है। ग्रह–नक्षत्रों के आधार पर संस्कारों को करने की बात कृत्य चिन्तामणि में की गई है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त प्रकट होता है कि चण्डेश्वर ने सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों आदि नाना ग्रंथों एवं ग्रन्थकारों के धर्मशास्त्र संबंधी विधानों, सिद्धांतों, मन्तव्यों पर तर्कपूर्ण विचार करते हुए राज्यशास्त्र संबंधी अपनी अवधारणाओं–स्थापनाओं का जिस प्रखर एवं पाडित्यपूर्ण ढंग से निरूपित किया है वह निःसंदेह सर्वथा सराहनीय है। उन्होंने अपने समय की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए अपने विचार प्रकट किए हैं, और साथ ही भविष्य के लिए भी नवीन चिन्तन की प्रेरणा दी है।

संदर्भ सूची

1. गृह रत्नाकर, संपा0–कमलकृष्ण स्मृतितीर्थ कलकता 1928 पृ0–284
2. कृत्य–रत्नाकर, पृ0–07
3. वही, पृ0–34
4. वही, पृ0–39
5. काणे, ध0सा0 का इति0 1996, भाग–4, पृ0–23